फर्द अहकाम

अनिता वगै0 बनाम कैलाशचन्द वगै0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर)

केस संख्या ...../2021 प्रा0पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

क. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	20/9/21	उभय पक्ष वादी/अभिभावक/अधिवक्ता के न्यायालय ... केस संख्या ... अन्य ... पत्रावली पर आदेशानुसार दि. 11/11/21 को पेश हो। (रीडर)
सुरेश कुमार अनिता	11-11-21	आज यह पत्रावली उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अभिभाव कन्या-लिखकर्ता ने पेश कुई, प्रार्थीगण 1, 3, 4, ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र वापिस। यही लगाने का पेश किया। वास्ते पेश को अग्रिम सं० 2, 5 पत्रावली दिनांक 16-11-21 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला जयपुर
सुरेश कुमार (रामचन्द्र यादव) सरपंच ग्राम पंचायत ... पं. स. शाहपुरा (जय...	16/11/21	
सुनिता पहचान कर्ता 16/11/21	16/11/21	पत्रावली आज प्रार्थना पत्र के साथ खास मे पेश हुई। सुनीता पत्नि जगमोहन व कृष्ण कुमार पुत्र सुरेश कुमार ने उपस्थित होकर प्रार्थना को आगे नहीं चलाने तथा खारिज कराने हेतु तकरीर दी। जिनकी पहचान रमेशचन्द डी. राधेलाल यादव ने की। प्रार्थना में प्रार्थीगण की सेवा के T.L प्रार्थना पत्र को आगे नहीं चलाने हेतु खारिज किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। मेरा यह अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली केवल प्रकाशन हेतु दर्ज रजिस्टर हो। उप खण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला जयपुर 16/11/21 रमेशचन्द यादव S/o राधेलाल यादव